R.No. MAHENG/2004/14130
Regd. No. MH/MR/South-30/2012-14

खण्ड XIII ♦ अंक 3
सितम्बर 2016

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग विनियमन

बैंकों द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश

दबावग्रस्त आस्तियों का प्रभावी ढ़ंग से समाधान करने के लिए बैंकों को और मजबूती देने हेतु रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों के पुनरुद्धार ढांचे के भाग के रूप में 1 सितंबर 2016 को एक उन्नत ढांचा शुरू किया है जिससे बैंकों द्वारा ऐसी आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/ विनिर्माण कंपनियों (आरसी) (वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सृजित)/अन्य बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं को बिक्री को नियंत्रित किया जा सके।

दबावग्रस्त आस्तियों की संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि:

- बैंक की नीति द्वारा निर्धारित एक विनिर्दिष्ट मूल्य से अधिक की दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री के लिए पहचान शीर्ष से निम्न की ओर होगी अर्थात बैंक का मुख्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय दबावग्रस्त आस्तियों की पहचान करने में सक्रिय रूप से शामिल होगा, इसमें बिक्री की जाने वाली वे आस्तियां भी शामिल हैं जिन्हें विशेष उल्लेख खाते के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जल्दी पहचान करने से कम समय लगेगा और बैंकों के लिए बेहतर कीमत मिलने में मदद मिलेगी;
- कम से कम वर्ष में एक बार, अधिमानतः वर्ष की शुरुआत में बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से उन विशिष्ट वित्तीय आस्तियों की पहचान करेंगे और आंतरिक रूप से सूची तैयार करेंगे जिनकी बिक्री एससी/आरसी सहित अन्य संस्थाओं को की जानी हो;
- कम से कम, थ्रेशोल्ड राशि से ऊपर संदेहास्पद आस्ति के रूप में वर्गीकृत सभी आस्तियों की बोर्ड/बोर्ड की समिति द्वारा आवधिक आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए और प्रलेखित औचित्य के साथ इसके निकास पर या अन्यथा रूप में एक राय ली जाए। बिक्री के पहचान की गई आस्तियों की बिक्री हेतु सूची बनाई जाएगी;
- संभाव्य क्रेताओं को प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। बैंक अपनी आस्तियों का प्रस्ताव अन्य बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं से भी कर सकते हैं जिनके पास आवश्यक पूंजी और दबावग्रस्त आस्तियों को हल निकालने की विशेषज्ञता हो। अधिक क्रेताओं की भागीदारी से बेहतर मूल्य मिल सकेगा;
- व्यापक रूप से अलग-अलग प्रकार के क्रेताओं को आकर्षित करने के लिए बोलियों अधिमानतः रूप से सार्वजनिक रूप से आमंत्रित की जाए जिससे कि यथासंभव अधिकाधिक भावी क्रेताओं की भागीदारी हो सके। ऐसे मामलों में, ई-नीलामी मंचों का उपयोग करना वांछनीय होगा। खुली नीलामी प्रक्रिया से अधिक उधारकर्ताओं को आकर्षित करने के अलावा बेहतर मूल्य भी प्राप्त होना अपेक्षित है। इस संबंध में बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाएं;
- बैंकों को भावी क्रेताओं द्वारा पूरी तरह से सावधान बरतने के लिए उन्हें पर्याप्त समय प्रदान करना चाहिए। यह समय न्यूनतम दो सप्ताह के साथ आस्तियों के आकार के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है;
- बिक्री के लिए प्रस्तावित आस्तियों के मूल्यनिर्धारण के संबंध में बैंकों की स्पष्ट नीति होनी चाहिए। विशेषकर, यह स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि किन मामलों में आंतरिक मूल्य निर्धारण स्वीकार किया जाएगा और कहां पर बाह्य मूल्य निर्धारण की आवश्यकता होगी। तथापि, 50 करोड़ रुपए से अधिक के एक्सपोज़र वाले मामलों में बैंक दो बाह्य मूल्यनिर्धारण रिपोर्ट प्राप्त करेंगे;
- मूल्यनिर्धारण कार्रवाई की लागत बैंक द्वारा वहन की जाएगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बैंक के हित सुरक्षित हैं;
- मूल्यनिर्धारण कार्रवाई में बैंक द्वारा प्रयुक्त कटौती दर को नीति में स्पष्ट किया जाएगा। यह कटौती दर इक्विटी लागत या निधियों की औसत लागत या अवसरवादी लागत या कोई अन्य संगत दर हो सकती है और यह न्यूनतम संविदात्मक ब्याज दर और दंड, यदि कोई हो, के अधीन होगी।

संशोधित ढांचे के अनुसार, बैंक अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की बिक्री पर अपनी मौजूदा नीतियों के प्रभावक्षमता की समीक्षा करेंगे जिसमें दबावग्रस्त आस्तियों के मूल्यनिर्धारण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा तथा उपर्युक्त सिद्धांतों को उचित रूप से अपनाकर अपनी नीतियों को पुनः निर्धारित करेंगे।

बैंकों द्वारा बिक्री की गई आस्तियों की सहायता से प्रतिभूति प्राप्तियों में बैंकों द्वारा निवेश

यह सुनिश्चित करने कि बैंकों द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री का वास्तविक परिणाम आस्तियों की असली बिक्री और सक्रिय दबावग्रस्त आस्ति बाजार सृजित करने के रूप में हो, यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों की अपनी स्वयं की दबावग्रस्त आस्तियों की सहायता से सिक्यूरिटी रिसीट्स में निवेश के लिए उत्तरोत्तर रूप से प्रतिबंधित किया जाए।

i) 1 अप्रैल 2017 से, जहां आस्ति प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत किसी बैंक द्वारा बिक्री की गई दबावग्रस्त आस्तियों की सहायता से सिक्यूरिटी रिसीट्स (एसआर) में निवेश इसकी बिक्री की गई आस्तियों की सहायता से और उस प्रतिभूतिकरण के अंदर जारी सिक्यूरिटी रिसीट्स के 50 प्रतिशत से अधिक है तो इन सिक्यूरिटी रिसीट्स के संबंध में किए गए प्रावधान न्यूनतम सीमा के अधीन होंगे, यह न्यूनतम सीमा मौजूदा आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार उत्तरोत्तर प्रावधानीकरण होगा, सांकेतिक रूप से इन सिक्यूरिटी रिसीट्स के अंकित मूल्य को इनके दबावग्रस्त ऋणों के रूप में माना जाएगा और यह समझा जाएगा कि मूलधन की वसूली के बिना ये बैंक की बहियों में बने हुए थे।

ii) 1 अप्रैल 2018 से 50 प्रतिशत की उपर्युक्त थ्रेशोल्ड को कम करके 10 प्रतिशत तक किया जाएगा।

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग विनियमन	
बैंकों द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश	1
व्यक्तियों को नि:शुल्क वार्षिक क्रेडिट रिपोर्ट	2
इक्विटास लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया	2
डॉ. उर्जित आर. पटेल ने भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला	2
विदेशी मुद्रा विनिमय	
प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) के निर्गम हेतु प्राधिकारों का अस्थायी आस्थगन	2
व्यापारी छूट दर (एमडीआर) संरचना प्रभारों का पृथक्कर	2
ईएमवी चिप और पिन कार्ड जारी करना	3
भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में परिचालन के लिए प्राधिकार	3
सहकारी बैंकिंग	
गैर-सदस्यों की सावधि जमाराशि की जमानत पर ऋण	3
विदेशी मुद्रा विनिमय	
भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम	3
मुद्रा प्रबंधन	
₹ 20 के बैंकनोट जारी करना	4
गैर-बैंकिंग विनियमन	
मास्टर निदेश	4
भारतीय रिजर्व बैंक ने निवासियों के पण्य-वस्तु मूल्य के जोखिम की हेजिंग पर कार्यसमूह गठित किया	4
भारतीय रिजर्व बैंक की अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता-वर्ष 2016-17	4

डॉ. उर्जित आर. पटेल ने भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला

डॉ. उर्जित आर. पटेल ने 4 सितंबर 2016 से भारतीय रिज़र्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले उन्होंने जनवरी 2013 से उप गवर्नर के रूप में कार्य किया था। उन्हें 11 जनवरी 2016 को उनके पद के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनः उप गवर्नर नियुक्त किया गया था। उप गवर्नर के रूप में उनके कार्यों में डॉ. पटेल ने मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और सुदृढ़ करने संबंधी विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता की। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने ब्रिक्स देशों के साथ अंतर-सरकारी समझौते और अंतर-केंद्रीय बैंक करार (आईसीबीए) पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्रियता से भाग लिया जिससे आकस्मिक आरक्षित निधि व्यवस्था (सीआरए) की स्थापना हुई जो इन देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच स्वैप लाइन ढांचा है।

डॉ. पटेल ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भी सेवा की है। वे 1996-1997 के दौरान आईएमएफ से रिज़र्व बैंक में प्रतिनियुक्ति पर थे और उस क्षमता में उन्होंने ऋण बाजार के विकास, बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों, पेंशन निधि के सुधारों और विदेशी मुद्रा बाजार के विकास पर सलाह प्रदान की। वे 1998 से 2001 तक वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), भारत सरकार में परामर्शदाता रहे। उन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में भी कार्य किया है।

डॉ. पटेल ने येल विश्वविद्यालय से अर्थव्यवस्था में पीएचडी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एम.फिल तथा लंदन विश्वविद्यालय से बी.एससी की है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=37969)

सिक्यूरिटी रिसीट्स में निवेश का प्रकटन

मौजूदा प्रकटन अपेक्षाओं के अतिरिक्त बैंकों को सिक्यूरिटी रिसीट्स में अपने निवेशों से संबंधित कुछ प्रकटन करने होंगे।

संशोधित ढांचे में ऋण एकत्रीकरण इन्कार करने का पहला अधिकार, स्विस चैलेंज पद्धति कम समय और ऋण एकत्रीकरण को समर्थ करना, वित्तीय आस्तियों की पुनर्खरीद के संबंध में कुछ परिवर्तन भी शामिल हैं।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10588Mode=0)

व्यक्तियों को नि:शुल्क वार्षिक क्रेडिट रिपोर्ट

रिजर्व बैंक ने सभी ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को निदेश दिया है कि वे अनुरोधकर्ता के विधिवत प्रमाणीकरण के बाद और अनुरोध पर 1 जनवरी 2017 से, उस व्यक्ति जिसका क्रेडिट रिपोर्ट सीआईसी के पास उपलब्ध है को एक कैलेंडर वर्ष में एक बार (जनवरी से दिसंबर) पहुँच और एक पूर्ण मुक्त क्रेडिट रिपोर्ट (एफएफसीआर) प्रदान करे। जिसका करने के लिए निर्देशित किया गया है इस रिपोर्ट में सीआईसी के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार व्यक्ति को ऋण संस्थानों के जोखिम की नवीनतम स्थिति दिखाना चाहिए।

एफएफसीआर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में किया जाएगा। एफएफसीआर की सामग्री एक समान होनी चाहिए जो कि क्रेडिट स्कोर सहित ऋण संस्थाओं को प्रदान की जानेवाली व्यक्ति की रिपोर्ट के सबसे विस्तृत संस्करण में दर्शायी गई हो।

सभी सीआईसी कि ऊपर वर्णित एफएफसीआर में एक बार किसी भी समय, एक वर्ष के दौरान, अनुरोध पर, व्यक्तियों जिनकी क्रेडिट डेटा उनके पास है, को 1 जनवरी 2017 से आरंभ वर्ष में पहुँच प्रदान करने के लिए आवश्यक सिस्टम की व्यवस्था करें। सीआईसी को उनकी वेबसाइट पर कि एफसीसीआर तक पहुँचने की प्रक्रिया को, और साथ ही एफएफसीआर को उपलब्ध कराने पर बोर्ड अनुमोदित नीति को सूचित करेगा।

पृष्ठभूमि

क्रेडिट सूचना कंपनियों को क्रेडिट सूचना प्रस्तुत करने के लिए आंकड़ों के फार्मेट की सिफारिश करने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा गठित समिति (अध्यक्षः श्री आदित्य पुरी) ने पहले सिफारीश की थी कि क्रेडिट संस्थान के प्रत्येक ग्राहक को प्रत्येक क्रेडिट सूचना कंपनी द्वारा प्रत्येक वर्ष आधार स्तरीय उपभोक्ता क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) निशुल्क रूप में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। व्यक्ति के वित्तीय मामलों में क्रेडिट रिपोर्ट के महत्व को देखते हुए, उसके अनुरोध करने पर वह रिपोर्ट की प्रति पाने का हकदार है। इसके अतिरिक्त, निशुल्क क्रेडिट रिपोर्ट उपलब्ध करान का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इस रिपोर्ट में वे सब विवरण न हों जो नई क्रेडिट सुविधाओं के अनुरोध पर विचार करते हुए क्रेडिट संस्थाओं द्वारा एक्सेस की जाने वाली पूरी क्रेडिट रिपोर्ट में दिए जाते हैं। रिपोर्ट में उधारकर्ता को यह अवसर भी दिया जाए कि यदि उसके क्रेडिट इतिहास में कुछ त्रुटियां हैं, तो उन्हें ठीक किया जा सके। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने सभी सीआईसीज को निदेश दिया है कि वे एफएफसीआर इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में उपलब्ध कराएं।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10590Mode=0)

इक्विटास लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 सितंबर 2016 को इक्विटास लघु वित्त बैंक लिमिटेड को एक लघु वित्त बैंक (एसएफबी) के रूप में भारत में कारोबार करने का लाइसेंस जारी किया है। लाइसेंस के जारी होने पर, इक्विटास लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 5 सितंबर 2016 से एक लघु वित्त बैंक (एसएफबी) के रूप में अपना परिचालन शुरू कर दिया है। इक्विटास होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड उन 10 आवेदकों में से एक है जिन्हें लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जारी की गई थी।

(https://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=38034)

भुगतान प्रणालियां

प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) के निर्गम हेतु प्राधिकारों का अस्थायी आस्थगन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 सितंबर 2016 को यह निर्णय लिया है कि भुगतान और निपटान प्रणाली (पीपीएस) अधिनियम के अंतर्गत प्री-पेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) हेतु भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए प्राधिकार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकों से प्राप्त नए आवेदनों की प्राप्तियों को 28 फरवरी 2017 तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया जाए। इससे नई संस्थाएं शुरू से ही संशोधित नीति ढांचे का अनुपालन भी कर सकेंगी। 2 सितंबर 2016 को कारोबार की समाप्ति तक भारतीय रिज़र्व बैंक को प्राप्त हुए आवेदनों को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रोसेस किया जाएगा।

इस अवधि के दौरान, किसी मौजूदा प्राधिकृत संस्था के स्वामित्व/शेयरधारिता में बदलाव की अनुमति केवल कोर्ट के आदेशों, विलय या समामेलन तथा/या विनियामकीय आवश्यकताओं के कारण अपेक्षित होने पर ही दी जाएगी।

यह अस्थायी आस्थगन उन आवेदनों पर लागू नहीं होगा जो नए लाइसेंस प्राप्त भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक प्री-पेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) के निर्गम और परिचालन हेतु गैर-बैंकों और बैंकों को प्राधिकृत करता रहा है। अब तक 47 गैर-बैंक संस्थाएं और 45 बैंक पीपीआई के लिए भुगतान प्रणालियों का परिचालन कर रहे हैं।

(https://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=37965)

व्यापारी छूट दर (एमडीआर) संरचना प्रभारों का पृथक्कर

डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए व्यापारी छूट दरों (एमडीआर) के संबंध में जारी निर्देशों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह बात आई है कि, कई मामलों में व्यापारियों के लिए शुल्कों को एकत्र कर दिया जाता है और व्यापारियों पर एक समग्र शुल्क लगाया जाता है चाहे किसी भी प्रकार के कार्ड का उपयोग क्यों न किया गया हो। इस प्रथा के चलते मौजूदा विनियामक अधिदेश के अनुपालन में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा, यह व्यापारियों को न केवल कार्ड स्वीकार करने से हतोत्साहित करती है बल्कि इसके चलते उन्हें लागत को अधिभार के रूप में ग्राहकों से अनियंत्रित तरीके से वसूलने का अवसर भी प्रदान करती है।

व्यापारी स्तर पर लागू एमडीआर के संबंध में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, यह सूचित किया जाता है कि, अधिग्राही बैंक निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करें:

i) एमडीआर को कार्डों की विभिन्न श्रेणियों के लिए स्पष्ट रूप से पृथक किया गया हो।

ii) डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड के लिए एक ही करार के भीतर पृथक करारों अथवा अनुबंधों को निष्पादित किया जाए ताकि और अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता लाई जा सके; और

iii) अधिग्रहण के समय विभिन्न श्रेणियों के कार्डों से संबन्धित प्रभारों के बारे में व्यापारियों को शिक्षित किया जाए।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10591Mode=0)

ईएमवी चिप और पिन कार्ड जारी करना

सुरक्षा को बढ़ाने और कार्ड द्वारा लेन-देनों में जोखिम कम करने के उद्देश्य और साथ ही सभी मौजूदा मॅगस्ट्रिप कार्डों की ओर अंतरण समयपर पूरा हो जानेपर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने 15 सितंबर 2016 को नए निर्गमों के लिए और ईएमवी चिप और पिन कार्डों के पूर्ण अंतरण के लिए संबंधित समयसीमा से परे कोई भी विस्तार प्रदान नहीं करने का फैसला किया है।

केवल चुंबकीय पट्टीवाले कार्डों के मौजूदा स्टॉक और अपनी शाखाओं के साथ ईएमवी चिप और पिन कार्ड जारी करने के लिए प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने में व्यक्त की गई कठिनाइयों के संबंध में विभिन्न बैंकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के अनुसरण में रिजर्व बैंक ने 27 अगस्त 2015 को ईएमवी चिप और पिन कार्ड जारी करने के लिए समय-सीमा को निम्नानुसार बढ़ाया था :

क्र.सं.	कार्ड/कार्डों का प्रकार	समय-सीमा निम्न तक बढ़ाइ
i)	प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)/ बेसिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) / अन्य सरकारी योजनाओं के तहत जारी किए गए कार्ड	30 सितंबर 2016

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10600Mode=0)

भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में परिचालन के लिए प्राधिकार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 अगस्त 2016 को अधिसूचित किया है कि बीबीपीओयू के रूप में परिचालित होने के लिए प्राधिकार हेतु बैंकों और गैर-बैंक संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों को प्रोसेस किया गया और अनुमोदन का निर्णय अथवा निवल मालियत प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर 2016 तक प्रदत्त समय में वृद्धि अथवा आवेदन वापसी,जो भी लागू हो, की सूचना इन संस्थाओं को दी गई है।

गैर-बैंक संस्थाएं जिनके आवेदन, आवेदन के समय पर एक वर्ष के डोमेन के अनुभव के अभाव में वापस लौटाए गए थे,को इन पात्रता मानदंडों को पूर्ण करने के लिए 31 दिसंबर 2016 तक समय में वृद्धि प्रदान की जाएगी बशर्ते आवेदन के समय पर उन्होंने बिलिंग कारोबार की शुरूआत की हो।

बीबीपीएस के विद्यमान दायरे में बिलिंग कारोबार कर रही संस्थाओं को चाहिए कि वे 31 मई 2016 तक प्राधिकृत बीबीपीओयू का एजेंट बनें या भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाई (बीबीपीओयू) के अंतर्गत शामिल बिल भुगतान कारोबार से बाहर हो जाएं अगर

- बीबीपीओयू के रूप में प्राधिकार हेतु उन्होंने आवेदन न किया हो,
- बीबीपीओयू के लिए उनका आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक ने वापस लौटाया हो, अथवा
- जहां भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय में वृद्धि प्रदान की हो, पर 31 दिसंबर 2016 तक आवश्यक निवल मालियत प्राप्त करने में और उसकी रिपोर्ट करने में वे असमर्थ हों।

वे संस्थाएं जो उपरोल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहीं हों, वे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए पात्र हो जाएंगी।

बीबीपीएस के परिचालन की शुरूआत के बाद और प्राप्त अनुभव के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक बीबीपीओयू के रूप में प्राधिकार हेतु नए आवेदनों की और पात्रता मानदंडों और भुगतान के लिए शामिल किए गए बिलों के प्रकारों के लिए डोमेन अनुभव के दायरे को विस्तृत करने की आवश्यकता की समीक्षा करेगा।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=37913)

सहकारी बैंकिंग

गैर-सदस्यों की सावधि जमाराशि की जमानत पर ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 सितंबर 2016 को निम्नलिखित शर्तों के अधीन वेतन भोगी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (एसईबी) को गैर-सदस्यों की सावधि जमाराशि की जमानत पर ऋण देने की अनुमति दी:

- एसईबी वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंकों (एफएसडल्यूएम) के लिए विनिर्दष्ट सभी मानदंडों को पूरा करती हों।
- एसईबी में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति मौजूद होनी चाहिए जिसका गठन और अनुपालन इस संबंध में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार हो।
- एसईबी की उपविधियों में स्वयं के नाम से या संयुक्त रूप से अन्य किसी गैर-सदस्य /सदस्यों के नाम से मौजूद सावधि जमाराशि की जमानत पर ऋण गैर-सदस्यों को ऋण देने का प्रावधान होना चाहिए।
- इस प्रकार के अग्रिमों के मामले में एसईबी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार हमेशा यथोचित मार्जिन बनाए रखना होगा।
- गैर-सदस्यों को सावधि जमाराशि की जमानत पर ऋण के अलावा अन्य कोई ऋण सुविधाएं नहीं दी जाएंगी।

दिनांक 14 दिसम्बर 2015 को आयोजित 32वीं स्थायी सलाहकार समिति की बैठक में किए गए विचार-विमर्श के अनुसरण में वेतन भोगी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (एसईबी) के गैर-सदस्यों को अग्रिम प्रदान करने की अनुमति दी गई।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10589Mode=0)

विदेशी मुद्रा विनिमय

भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 सितंबर 2016 को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन किए :-

अनुसूची 1 में संशोधन:-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

एफ 3	अन्य वित्तीय सेवाएँ		
	वित्तीय सेवा विनियमकों जैसे:- भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) अथवा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए किसी अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियमित वित्तीय सेवाओं से संबंद्ध गतिविधियां।	100%	स्वचालित मार्ग से
एफ़ 3.1	अन्य शर्तें		
	i) अन्य वित्तीय सेवाओं संबंधी गतिविधियों में किए जाने वाले विदेशी निवेश संबंधित विनियामक संस्था/ सरकारी एजेंसी द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों सहित विभिन्न शर्तों के अधीन होगा। ii) अन्य वित्तीय सेवाओं संबंधी गतिविधियाँ वित्तीय क्षेत्र की किसी न किसी एक विनियामक संस्था द्वारा विनियमित की जानी चाहिए। जहां वित्तीय क्षेत्र संबंधी सेवाएँ किसी विनियामक संस्था द्वारा विनियमित न की जाती हो अथवा वित्तीय सेवाओं का कोई अंश मात्र ही विनियमित किया जाता हो अथवा विनियामक ढांचे के बारे में संभ्रम की स्थिति हो, ऐसे मामलों में इस प्रकार की वित्तीय गतिविधियों में 100% विदेशी निवेश सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमत होगा और उस पर न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों सहित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य शर्तें भी लागू होंगी। iii) यदि कोई गतिविधि विशेष रूप से किसी अधिनियम के तहत विनियमित की जाती है, तो उसके लिए विदेशी निवेश की सीमाएं उस सीमा/ लेवेल तक प्रतिबंधित होगी, जो संबंधित अधिनियम में विनिर्दिष्ट की गई हो और अधिनियम में उसका उल्लेख हो। iv) अन्य वित्तीय सेवाओं संबंधी गतिविधियों में शामिल किसी भी एंटिटी द्वारा किए जाने वाले डाउनस्ट्रीम निवेश वर्तमान सेक्टोरल विनियमों तथा **विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों के अधीन होंगे।**		

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10589Mode=0)

मुद्रा प्रबंधन

₹ 20 के बैंकनोट जारी करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 सितंबर 2015 को घोषित किया कि वह महात्मा गांधी श्रृंखला-2005 में, दोनों संख्या पैनलों पर इन्सेट लेटर मठफ सहित, डॉ. उर्जित आर. पटेल, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक के हस्ताक्षर वाले, और बैंकनोट के पृष्ठभाग पर मुद्रण वर्ष ङ्क2016फ मुद्रित वाले 20 के मूल्यवर्ग में बैंकनोट,शीघ्र ही जारी करेगा।

अब जारी किए जाने वाले इन बैंकनोटों का डिज़ाइन और सुरक्षा विशेषताएं निम्नलिखत को छोड़कर महात्मा गांधी श्रृंखला-2005 में पहले जारी किए गए 20 के बैंकनोटों के समान होंगी

अग्रभाग

फोंट का बढ़ता आकार

दोनों संख्या पैनलों में अंक बाएं से दाए ओर बढ़ते आकार में होंगे जबकि पहली तीन अक्षरांकीय वर्ण (शुरू में आने वाले) आकार में एक जैसे होंगे।

इंटैलियो प्रिंटिंग

अब तक इंटैलियो (उभरी हुई प्रिंटिंग) में मुद्रित अंक 20, आरबीआई मुहर, महात्मा गांधी का चित्र, आरबीआई मुद्रालेख, गारंटी और वचन खंड, गवर्नर का हस्ताक्षर, अशोक स्तंभ प्रतीक को अब ऑफसेट (उभरी हुई प्रिंटिंग के बिना) जारी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, बैंकनोट के बाएं ओर आयताकार पहचान चिह्न हटा दिया गया है।

रंग

जबकि नोट के पृष्ठभाग के रंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है, अग्रभाग का रंग थोड़ा हल्का (इंटैलियो प्रिंटिंग हटाने के कारण) होगा।

अंतर्निहित प्रतिकृति

दाएं तरफ महात्मा गांधी के चित्र के वर्टिकल बैंड में अब तक अंतर्निहित प्रतिकृति होती थी जिसमें अंक 20 दिखाई देता था। यह अंतर्निहित प्रतिकृति नोट को आँख के स्तर के समानांतर (होरिजोंटली) रखने से दिखाई देती है। अब यह विशेषता उपलब्ध नहीं है।

पृष्ठभाग

बैंकनोट के पृष्ठभाग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=38056)

गैर-बैंकिंग विनियमन

मास्टर निदेश

रिजर्व बैंक ने सितंबर 2016 के महीने में निम्नलिखित मास्टर निदेशों को जारी किया: -

मास्टर निदेश/ परिपत्र	जारी करने की तारीख
मास्टर निदेश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और डिपॉजिट लेनेवाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016	1 सितंबर 2016
मास्टर निदेश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी गैर- प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016	1 सितंबर 2016
मास्टर निदेश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अकाउंट एग्रीगेटर (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016	2 सितंबर 2016
मास्टर निदेश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवरणीयां (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016	29 सितंबर 2016
मास्टर निदेश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी आडिटर्स रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016	29 सितंबर 2016
मास्टर निदेश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में धोखाधड़ी पर निगरानी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016	29 सितंबर 2016

भारतीय रिजर्व बैंक ने निवासियों के पण्य-वस्तु मूल्य के जोखिम की हेजिंग पर कार्यसमूह गठित किया

पण्य-वस्तुओं के मूल्य जोखिम के लिए भारतीय कंपनियों का एक्सपोजर दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते एकीकरण और सीमा पार व्यापार की बढ़ती मात्रा से बढ़ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 सितंबर 2016 को एक कार्य समूह का गठन किया है जो हमारे घरेलू पण्य-वस्तु डेरिवेटिव बाजार के विकास के चरण के दौरान विदेशी बाजारों में निवासियों द्वारा वस्तुओं के मूल्य जोखिम की हेजिंग के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगा। कार्य समूह में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), वाणिज्यिक बैंकों और कंपनियों के सदस्य हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता-वर्ष 2016-17

बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2016-17 के लिए आयोजित होनेवाली अंतर बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित तीन विषयों की घोषणा की है:

1. बैंकिंग क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियां और भारत में बैंकों का समेकन/विलयन
2. बैंकिंग क्षेत्र में साइबर क्राइम के बढ़ते कदम एवं रोकथाम के उपाय
3. मेक इन इंडिया बनाम मेक फॉर इंडिया

सभी अधिकारी और स्टाफ सदस्य (राजभाषा अधिकारी और अनुवादक को छोड़कर) इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रतिभागी दिए गए विषयों में से किसी एक पर हिंदी में निबंध भेज सकते हैं। जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2016 (बुधवार) है।

इसे व्यापक प्रचार देने के लिए, रिजर्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अनुरोध किया है कि वे अपनी संस्था की आंतरिक पत्रिकाओं / हिंदी पत्रिकाओं में प्रतियोगिता के बारे में जानकारी प्रकाशित करे और इसे अपनी वेबसाइटों पर भी उपलब्ध कराएं।

(https://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=37917)

कार्यसमूह का गठन निम्नानुसार है:

i)	श्री चंदन सिन्हा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक	अध्यक्ष
ii)	श्री टी.रबि शंकर, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य
iii)	श्री पी.के. बिंडलिस, मुख्य महाप्रबंधक, सेबी	सदस्य
iv)	श्री वेंकट नागेश्वर, उप प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक	सदस्य
v)	श्री अजीत रानाडे, मुख्य अर्थशास्त्री, आदित्य बिड़ला समूह	सदस्य
vi)	श्री आशीष पार्थसारथी, कोषाध्यक्ष, एचडीएफसी बैंक	सदस्य
vii)	श्री एम. जी. गुप्ता, निदेशक (वित्त), एमएमटीसी	सदस्य
viii)	श्री सिद्धार्थ मिश्रा, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक	संयोजक

कार्यसमूह के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :

- निवासी संस्थाओं द्वारा सामना किए जा रहे जोखिम और उनके हेजिंग आवश्यकताओं का आकलन,
- हेजिंग आवश्यकताओं के संबंध में मौजूदा नियामक ढांचे में अंतराल को पहचानना अर्थात वस्तुओं, प्रतिभागियों और उत्पादों की कवरेज,
- पण्य-वस्तुओं के जोखिम की विदेशी हेजिंग के लिए नियामक व्यवस्था के मार्गदर्शन के लिए व्यापक सिद्धांतों का सुझाव,
- विदेशों में कमोडिटी जोखिम की हेजिंग करने वाले निवासियों के लिए एक संशोधित ढांचे की सिफारिश करना,
- कोई अन्य संबंधित अन्य मामला।

कार्यसमूह इसके विचारार्थ विषयों से संबंधित किसी भी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से विचार आमंत्रित कर सकता है। निवासी संस्थाएं जिन्हें वस्तुओं के मूल्य जोखिम का खतरा है, उद्योग संगठन, शिक्षा संस्था के सदस्य और अन्य इच्छुक पार्टियां अपने सुझाव / टिप्पणी हमें मेल कर सकते हैं।

समूह 28 फरवरी 2017 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BSšPressReleaseDisplay.aspx?prid=38047)

अल्पना किल्लावाला, भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 द्वारा संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।